

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प01(175)एमई / ग्रुप-1 / 17

जयपुर, दिनांक: 5 FEB 2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को वरिष्ठ प्रदर्शक माइक्रोबायोलोजी के पद पर पे-मेट्रिक्स में लेवल-14 (56100-177500) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 39,300/प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिदीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम/पदस्थापन स्थान	मेरिट क्रमांक	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	डॉ. अनीता कुमारी गुप्ता पत्नी डॉ. सत्यप्रकाश जिन्दल, न्यू टेलीफोन एक्सचेंज के पास, सिद्धार्थ नगर, हिण्डौन सिटी, करौली, राज0 322230	आर-09	15.12.1984	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प0 08(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) की अधिसूचना क्रमांक प0 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन करवा लिया गया है अभ्यर्थी की जन्मतिथि उसके सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छायाप्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गई है।

यह नियुक्ति इस शर्त के अधधीन होगी:-

"These appointment are subject to the decision of SBCWNO. 8123/2017."

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन होगी।



(मोहनलाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(34)भर्ती/गोपनीय/2014-15/231 दिनांक 18.07.2017, एफ. 7(34)भर्ती/गोपनीय/2014-15/481 दिनांक 01.11.2017, एफ. 7(34)भर्ती/गोपनीय/2014-15/81 दिनांक 11.04.2018, एवं एफ. 7(34)भर्ती/गोपनीय/2014-15/312 दिनांक 07.01.2019,
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/जयपुर/कोटा/उदयपुर।
5. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।



(जी.आर. रावल)
सहायक शासन सचिव